

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) के धनराशि की गणना

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा (सर्किट-1) पारेषण लाइन परियोजना के अंतर्गत कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात में उक्त पारेषण लाइन के निर्माण से प्रभावित 0.8064 हे० संरक्षित एवं 2.3072 हे० अवर्गीकृत अर्थात् कुल 3.1136 हे० वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र संख्या 5-3/2011-एफ़ सी दिनांक 06.01.2022 के द्वारा पुनरीक्षित दरों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की गणना निम्न प्रकार है :-

1. प्रभावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल : 3.1136 हे०
2. प्रभावित संरक्षित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व : 0.4
3. प्रभावित संरक्षित वन भूमि का इको क्लास : III
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार की पत्र संख्या 5-3/2011-एफ़सी
दिनांक 06.01.2022 के द्वारा पुनरीक्षित दरों के
अनुसार शुद्ध वर्तमान दर : रू०12,28,590/- प्रति हे०
5. प्रभावित संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य : रू०12,28,590/- प्रति हे० x 3.1136 हे०

= रू०38,25,337.82

अथवा = रू०38,25,338.00

(शब्दों में) रू० अड़तीस लाख पचीस हजार तीन सौ अड़तीस मात्र

उपरोक्त धनराशि साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा देय होगी, भविष्य में यदि उक्त दर में बढ़ोत्तरी होगी तो तदनुसार धनराशि देय होगी।





(ए० के० द्विवेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात